

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या- 122/2023/2074/23-3-23-47ई0एस0/2006टीसी0-1

लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ताओं के मध्य कार्य आवंटन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से प्रमुख अभियन्ताओं के मध्य कार्य आवंटन निम्नवत किया जाता है :-

(क) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागायुक्त

1. नीति एवं नियोजन सम्बन्धी कार्य ।
2. आई0टी0/ई-गवर्नेन्स।
3. नाबाई से सम्बन्धित कार्य।
4. पी0एम0जी0एस0वाई से सम्बन्धित कार्य।
5. विश्व बैंक एवं ए0डी0बी0 सहायतित परियोजना सम्बन्धी कार्य।
6. इण्डो नेपाल बार्डर से सम्बन्धित कार्य।
7. विद्युत/यांत्रिक शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा इस शाखा के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
8. ग्रुप-बी के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
9. ऐसे समस्त कार्य जो प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) तथा प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) को आवंटित न हो।
10. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।

(ख) प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)

1. जाँच एवं परिवाद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2) से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे कोर्ट केसेज श्रेणी-03 एवं 04 के व्यवस्थापन/अधिष्ठान/रजिस्ट्रेशन/भूमि अध्याप्ति आदि समस्त कार्य।

3. परिकल्प एवं नियोजन व अनुसंधान तथा अन्वेषणालय से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. वास्तुविद संवर्ग के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
5. भवन से सम्बन्धी कार्य।
6. सेतु/पाण्डून के नवनिर्माण तथा रख-रखाव।
7. अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।

(ग) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)

1. बजट एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
 2. समस्त आडिट प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्य।
 3. राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्य।
 4. समूह क के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य।
 5. ग्रामीण सड़कों/मार्गों के मरम्मत, रख-रखाव व अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
 6. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।
- 2- समस्त नीतिगत प्रकरण प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन में प्रेषित किये जायेंगे।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, अधिकारी प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रकरण प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग होंगे।

अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या- 122 /2023/2074/23-3-23-47ई0एस0/2006टीसी0-1तदिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, 30प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक, 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
6. प्रधान निजी सचिव,/निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग 30प्र0 शासन।
7. प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
8. लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।